कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हापुड़

दिनांक 18-9-21

पत्रांक 1538 /1C
सेवा में,

प्रवीण नागर
मुख्यप्रबन्धक (पी0एन0जी0)
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
आई0जी0एल0भवन,
प्लॉट न0–4, आर0के0पुरम
सैक्टर–9, नई दिल्ली।

विषयः– हापुड शहरी भाग (पुराना रा0मा0–24) के किमी0 49.000 से 54.000 (कुल लम्बाई 5.000 किमी0) मार्ग पर गैस पाईप लाइन डालने हेतु रोड कटिग अनुमति के सम्बन्ध मे।

संदर्भः– आपका पत्रांक आई0जी0एल0 / पी0एन0जी0 / स्टील / गाजियाबाद / पी0डब्लू0डी0 / 23525 दिनांक 15.03.21 एव इस कार्यालय का पत्राक / एन0ओ0सी0 संख्या 1105 / 4सी दिनांक 15.04.2013

उपरोक्त विषय मार्ग पर संदर्भित पत्र द्वारा गैस पाईप लाईन डालने हेतु रोड कटिग की अनुमति प्राप्त करने हेतु आपके द्वारा आवेदन दिया गया है। सात वर्ष पूर्व आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या–1105 / 4सी0 दिनांक 15.04.2013 कें द्वारा रोड कटिग की अनुमति प्रदान की गई थी । परन्तु आपके द्वारा कार्य प्राम्भ नही किया गया। पुनः आपके द्वारा रोड कटिग का कार्य प्रारम्भ करने हेतु अनुमति मागी है। उक्त के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि उक्त मार्ग पर मार्ग के चौडीकरण एवं वर्तमान दरो मे परिवर्तन के फलस्वरूप मार्ग को रोड कटिग के रेस्टोरेशन की कुल लागत रू0 59,29,800.00 आती है। पूर्व मे आपके द्वारा रू0 48,73,000.00 की धनराशि एच0डी0एफ0सी0 बैंक के डिमाड ड्राफ्ट संख्या –662665 दिनांक 06.02.2013 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, पंचशीलनगर के नाम जमा कराई जा चुकी है। शेष धनराशि का डिमाड ड्राफ्ट (इंडसइंड बैंक के डिमाड ड्राफ्ट संख्या –925510 दिनांक 12.08.2021 रू0 10,56,800.00) आपके पत्र संख्या–GL/PNG /STEEL/GZB/PWD/23837 DT- 16-08-2021 के साथ संलग्न है, जो अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, हापुड के नाम प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त विषयक मार्ग के किमी0 49.000 से 54.000 (कुल लम्बाई 5.000 किमी0) पर गैस पाईप लाइन डालने हेतु रोड कटिग की अनुमति निम्न प्रतिबन्धो के साथ के प्रदान की जाती है :–

1. मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 द्वारा सिर्फ मार्ग पर गैस पाइप लाईन मशीन ड्रिल / मैनुअली ट्रेंच कटिंग द्वारा हापुड शहरी भाग (पुराना रा0मा0–24) के किमी0 49.000 से 54.000 में (कुल लम्बाई 5.000 किमी0) कार्य किया जायेगा। इससे अधिक कार्य कदापि नही किया जायेगा। कार्य की मात्रा मे किसी सम्भावित वृद्धि की पुनः अनुमति कम्पनी द्वारा अलग से प्राप्त करनी होगी । जिसके लिये नियामानुसार धनराशि जमा करानी होगी।
2. मार्ग के मध्य बिन्दु से गैस पाइप लाईन अधिकतम दूरस्थ (कम से कम 15 मी0) दूरी पर डाली जायेगी।
3. कार्य को इस प्रकार सम्पन्न कराया जायेगा कि सामान्य यातायात तथा जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो अर्थात 100 मी0 लम्बाई मे कार्य पूर्ण करने के पश्चात अच्छी तरह भरकर मार्ग की पूर्व स्थिति मे लाया जायेगा तथा उसके पश्चात ही अवशेष लम्बाई मे कार्य आगे बढाया जायेगा।

F-NB Letter

AG

Scanned by CamScanner

...र्य प्रारम्भ करने से पूर्व अन्य विभाग जैसे बी0एस0एन0एल0, विद्युत विभाग, नगर पालिका व ...न विभाग इत्यादि से विधिवत अनुमति प्राप्त कर ली जाये। कार्य करते वक्त किसी भी सरकारी एवं निजी सम्पत्ति की हानि की भरपाई गैस कम्पनी को करनी होगी।

5. मार्ग पर कार्य के दौरान यातायात के सुगम एव सुरक्षित संचालन का प्रबध गैस कम्पनी द्वारा स्वतः करना होगा। कार्य करते समय किसी भी अप्रत्याशित दुघर्टना के लिये कम्पनी स्वय जिम्मेदार होगी।
6. मार्ग का चौडीकरण अथवा अन्य किसी कारण से आवश्यकता पडने पर गैस कम्पनी को उक्त पाइप लाईन हटानी होगी, जिसके लिये कोई खर्चा /मुआवजा देय नही होगा।
7. मार्ग पर पडने वाले पुलो/पुलियों के स्लैब के ऊपर से पाईप लाईन नही गुजरेगी।
8. यह अनुमति सिर्फ एक बार कार्य कराये जाने के लिये अनुमन्य होगी। भविष्य मे किसी भी मरम्मत इत्यादि किये जाने की दशा मे गैस कम्पनी द्वारा पुनः अनुमति ली जायेगी।
9. मार्ग पर गैस पाइप लाईन मशीन द्वारा ड्रिल/मैनुअली ट्रेंच कटिंग करके डाली जायेगी। किसी भी परिस्थिति मे मार्ग की लेपित सतह को क्षतिग्रस्त नही किया जायेगा।
10. कम्पनी द्वारा कार्य करने से पूर्व लो0नि0वि0 के अधिकारियो के साथ निरीक्षण किया जायेगा। संयुक्त निरीक्षण मे दिये गये निर्देशो का पालन गैस कम्पनी को करना अनिवार्य होगा।
11. लो0नि0वि0 उत्तर प्रदेश के पास उक्त अनुमति राजकीय हित मे निरस्त करने का अधिकार होगा। निरस्तीकरण की दशा मे कोई भी मुआवजा पाने का कम्पनी को अधिकार नही होगा।
12. कार्य समाप्ति पर मार्ग के किनारे डाली गयी लाईन का नक्शा पूर्ण विवरण सहित तीन प्रतियो मे हार्ड कापी एव सॉफ्ट कापी सहित कम्पनी द्वारा लो0नि0वि0 को उपलब्ध कराना होगा।
13. भविष्य मे पाइप लाईन मे किसी लीकेज के कारण सडक एवं जानमाल की क्षति के लिये कम्पनी उत्तरदायी होगी। एवं उक्त मरम्मत कम्पनी को स्वयं के व्यय पर करानी होगी।
14. यह अनुमति आपको इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि पाईप लाईन का कार्य मार्च 2022 तक पूर्ण करना होगा। मार्च 2022 के पश्चात अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
15. क्रम संख्या 01 से 14 तक समस्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लघंन किये जाने की दशा मे यह अनुमति स्वतः ही रदद् हो जायेगी।

08/09/21

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
हापुड़

पत्रांक

दिनांक.........................

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. सहायक अभियन्ता, प्रथम प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0, हापुड।
2. अवर अभियन्ता (प्रा0) प्रा0 खण्ड, लो0नि0वि0 हापुड़

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
हापुड़

Scanned by CamScanner